

प्रेस नोट

दिनांक 28.02.2024

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-55/24, धारा 377 भादवि, 5एफ/6 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चार्ल्स लाल को मोहनी पुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.02.2024 को थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना कटराबाजार में सूचना दी गयी कि उनके 08 वर्षीय लड़के के साथ उसके स्कूल के गेट कीपर द्वारा अप्राकृतिक कृत्य किया गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना कटराबाजार में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 सुनील कुमार द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 28.02.2024 को थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा मोहनी पुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. चार्ल्स लाल पुत्र जोसेफ लाल नि0 शांतिनगर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-55/24, धारा 377 भादवि, 5एफ/6 पाक्सो ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 सुनील कुमार।
02. का0 अभिषेक गुप्ता।
03. का0 अनुराग राजवंशी।

प्रेस नोट

दिनांक 28.02.2024, थाना को0 नगर,

जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-817/23, धारा 419,420,467,468,471,120 बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जवाहर लाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 15.09.2023 को वादी गिरीश यादव लेखपाल जानकी नगर ग्रामीण द्वारा थाना को0 नगर में सूचना दी गयी कि गाटा सं0-353 व 354 जो राजस्व अभिलेखों में बंजर श्रेणी की भूमि है। जिसको जवाहर लाल पुत्र तिलकराम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अमित अग्रवाल के नाम बैनामा कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 दानवीर सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त जवाहर लाल को आज दिनांक 28.02.2024 को को0 नगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जवाहर लाल पुत्र तिलकराम नि0 अगेहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-817/23, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. नि0 अपराध अरविन्द यादव थाना को0 नगर।

02. का0 उत्कर्ष राय।

प्रेस नोट

दिनांक 28.02.2024, थाना को० नगर,

जनपद गोण्डा।

थाना को० नगर पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को० नगर पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं०-797/23, धारा 41,411,413 भादवि व 05 उ०प्र० बिजली के तार व ट्रांसफार्मर चोरी निवारण अधि० से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शोएब पुत्र कमाल नि० बसीरनगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा को फुरकानिया मस्जिद से मेवातियान जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.08.2023 को थाना को० नगर पुलिस टीम द्वारा चोरी के 161 किलो विद्युत केबिल व 01 अदद बुलेरो के साथ अभियुक्त अशरफ व असलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें उक्त अभियुक्त वांछित चल रहा था जिसे आज दिनांक 28.02.2024 को थाना को० नगर पुलिस टीम द्वारा फुरकानिया मस्जिद से मेवातियान जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शोएब पुत्र कमाल नि० बसीरनगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-797/23, धारा 41,411,413 भादवि व 05 उ०प्र० बिजली के तार व ट्रांसफार्मर चोरी निवारण अधि० थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० राजेश कुमार दूबे।
02. हे०का० अशोक गौड़।
03. हे०का० महताब खां।

प्रेस नोट

दिनांक 28.02.2024, थाना को0 देहात,

जनपद गोण्डा।

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा देते हुए 02 साल्वरों को किया गया गिरफ्तार, कूटरचित दस्तावेज बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में धोखाधड़ी कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में 02 साल्वरों—01. सोनू कश्यप, 02. सत्येन्द्र वर्मा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कूटरचित दस्तावेज बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.02.2024 को आवेदक श्री सुख राम पुत्र श्री राम अवध निवासी सराय जरगर खोरहंसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र एजाज हुसैन मेमोरियल इण्टर कालेज खोरहंसा में गेट पर तलाशी के बाद कक्ष के गेट पर प्रवेश पत्र मिलान किया जा रहा था की 02 साल्वरों—01. सोनू कश्यप, 02. सत्येन्द्र शुक्ला को कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ पकड़ लिया गया। जो धोखाधड़ी कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आये हुए थे। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दोनों साल्वरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी प्रवेश पत्र बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सोनू कश्यप पुत्र सूर्य प्रकाश नि0 ग्राम कोयली जंगल पोस्ट चेतपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा, विजय कुमार गुप्ता पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम खालेपुरवा लोढ़ियाघाटा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के स्थान पर तथा अभियुक्त सत्येन्द्र शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम कोयली जंगल पोस्ट चेतपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा, संतराम साहू पुत्र धर्मराज नि0 ग्राम खालेपुरवा लोढ़ियाघाटा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के स्थान पर कूट रचित दस्तावेजों के साथ एजाज हुसैन मेमोरियल इण्टर कालेज खोरहंसा में गणित की परीक्षा देने आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सोनू कश्यप पुत्र सूर्य प्रकाश नि0 ग्राम कोयली जंगल पोस्ट चेतपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा
02. सत्येन्द्र शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम कोयली जंगल पोस्ट चेतपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-56/23, धारा 420, 419,420,467,468,471,34 भादवि व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-57/23, धारा 420, 419,420,467,468,471,34 भादवि व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 श्री अजय कुमार तिवारी
02. कां0 अनुराग पटेल
03. कां0 अजय प्रताप सिंह

प्रेस नोट

दिनांक 28.02.2024

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपदीय साइबर थानों के उद्घाटन हेतु की गयी वर्चुअल मीटिंग में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा किया गया प्रतिभाग-

गोण्डा। आज दिनांक 28.02.2024 को मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्चुअल माध्यम से साइबर थानों का उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में उच्चाधिकारीगणों द्वारा पुलिस लाईन साभागार में उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया इसके उपरांत साइबर क्राइम थाना व जनपद के समस्त थानों पर साइबर सेल का भव्य उद्घाटन किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोंडा श्री मनोज कुमार रावत व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

प्रेस नोट

दिनांक 28.02.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से बलवा कर जानलेवा हमला करने के 05 आरोपी अभियुक्तों को हुई 05-05 वर्ष का कारावास व रूपए 8,000-8,000 /- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप बलवा कर जानलेवा हमला करने के 05 आरोपी अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कारावास व रु0 8,000-8,000 /- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा बलवा कर जानलेवा हमला करने के आरोप में 05 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अवनीश धर द्विवेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना तरबगंज के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-05 गोण्डा कोर्ट ने 05-05 वर्ष का कारावास व रूपए 8,000-8,000 /- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. हेमन्त कुमार पुत्र कृष्णनाथ नि0 ग्राम निर्मलपुरवा मौजा परियावां थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. शिव कुमार पाण्डेय पुत्र कृष्णनाथ नि0 ग्राम निर्मलपुरवा मौजा परियावां थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. लल्लू उर्फ अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र सूर्यनरायन पाण्डेय पुत्र कृष्णनाथ नि0 ग्राम निर्मलपुरवा मौजा परियावां थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
04. राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र रामनाथ पुत्र कृष्णनाथ नि0 ग्राम निर्मलपुरवा मौजा परियावां थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
05. मथुरा प्रसाद पुत्र दयाशंकर पुत्र कृष्णनाथ नि0 ग्राम निर्मलपुरवा मौजा परियावां थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-64 / 1997, धारा 147,148,149,307,324,427 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।